HRA an Usium Che Gazette of India"

असाधारण EXTRAORDINARY

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

श्रीधकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 217]

309 GI/86

मई बिरसी, गनिवार, मई 31, 1986/ज्येष्ठ 10, 1908 NEW DELHI, SATURDAY, MAY 31, 1986/JYAISTHA 10, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह बलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 मई, 1986

ग्रधिसूचनाएं

का.भा. 312(म्र):—केन्द्रीय सरकार ने, श्रमजीवी पत्नकार श्रीर श्रन्य समाचारपत्न कर्मचारी (सेवा की भर्ते) और प्रकीण उपबंध श्रधिन्यम, 1955 (1955 का 45) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का श्रयोग करते हुए भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की तारीख 17 जुलाई, 1985 की अधिसूचना संख्या का.ग्रा. 527 (ग्र) के तहत श्रमजीवी पत्नकारों के संबंध में मजदूरी की दरों को नियत या पुनरीजित करने के लिए एक मजदूरी बोर्ड गठित किया है;

भौर उक्त बोर्ड बराबर भपना कार्य कर रहा है;

श्रीर केन्द्रीय सरकार की राय है कि श्रमजीवी पत्नकारों के संबंध में मजदूरी की स्रंतरिम दरें निर्धारित करना श्रावश्यक है;

ग्रतः, श्रवः, जनत प्रधिनियम की घारा 13(क) की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मजदूरी बोर्ड से परामर्थ करने के पश्चात्, श्रमजीवी पत्नकारों के संबंध में वर्तमान मूल बेतन के 15 प्रतिशत की दर से, मजदूरी की ग्रंतरिम दरें नियत करती है, जो न्यूनतम 90/- रु. प्रतिमाह है। इस प्रकार निर्धारित ग्रंतरिम सहायता सभी उद्देश्यों, जिनमें भविष्य निधि ग्रंभदान, कर्मचारी राज्य बीमा, उपदान, बोनस जैसे ग्राह्म लाभों का निर्धारण शामिल है, के लिए मूल मजदूरी का भाग समझी जाएगी।

जहां कोई समाचारपत्न स्थापन या तो अपने कर्मचारियों से हुई बातचीत के परिणामस्वरूप या अन्यथा, ऐसे श्रमजीवी पत्नकारों को जो उस समाचारपत्न स्थापन में या उसके संबंध में, उस रूप में नियोजित हैं, अंतरिम सहायता देने के लिए सहमत हो गया है और ऐसी अंतरिम सहायता का संबंध मूल मजदूरी या महंगाई भत्ते से है, ऐसी सहायता की राशि को मजदूरी की दरों में उपर्युक्त वृद्धियों के विरुद्ध समायोजित कर लेना अनुजीय होगा :

परन्तु जहां किसी श्रमजीवी पत्नकार के संबंध में कोई अंतरिम सहायता, जिसे देने के लिए कोई समाचारपत्न स्थापन सहमत हो गया है, मजदूरी की दरों में उपर्युक्त वृद्धि से प्रधिक है वहां वह ग्रंतरिम सहायता जिस पर समाचारपत्न स्थापन सहमत हो गया है, ऐसे श्रमजीवी पत्नकारों के लिए दी जाएगी (ग्रथांत् इसमें कभी नहीं की जाएगी और वें ऊपर सिफारिश की गई मजदूरी की दरों की वृद्धि के हकदार नहीं होंगे।

मजदूरी की श्रंतरिम दरें पहली जून, 1986 से देय होंगी। [संख्या वी-24032/6/86-वें.म.]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 30th May, 1986

NOTIFICATIONS

S.O. 312 (E):— Whereas the Central Government has, in exercise of the powers conferred by section 9 of the Working Journalists and other Newspaper

Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955), constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 527 (E), dated the 17th July, 1985 a Wage Board for the purpose of fixing or revising the rates of wages in respect of working journalists;

And whereas the said Board continues to function;

And whereas the Central Government is of opinion that it is necessary to fix interim rates of wages in respect of working journalists:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A, of the said Act, the Central Government, after consultation with the Wage Board, hereby fixes the interim rates of wages in respect of working journalists at the rate of 15 per cent of the existing basic wages subject to a minimum of Rs. 90/- p.m. The interim relief thus fixed shall be taken as part of the basic wages for all purposes including determination of admissible benefits such as contribution to Provident Fund, Employees State Insurance, Gratuity, Bonus, etc.

Where any newspaper establishment has either as a result of negotiations with its employees or otherwise agreed to pay interim relief to working journalists employed as such in or in relation to, such newspaper establishment, and such interim relief is related to the basic wages or to the dearness allowance, it shall be permissible, to adjust the amount of such relief against increases in the rates of wages made above:

Provided that where the interim relief agreed to be paid by any newspaper establishment, in respect of any working journalists is in excess of the increase in the rates of wages made above, such interim relief agreed to by the newspaper establishment shall continue to be paid (i.e., it shall not re reduced) in respect of such working journalists and they shall not be entitled, in addition, to the increase in rates of wages recommended above.

The interim rates of wages shall be payable with effect from 1st June, 1986.

[F. No. V-24032/6/86-W. B.]

का ग्रा 313(ग्र) — केन्द्रीय सरकार ने, श्रमजीवी पत्रकार श्रीर ग्रन्थ समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्ते) ग्रीर प्रकीण उपबंध ग्रधिन्यम, 1955 (1955 का 45) की धारा 13ग द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, श्रम मत्नालय की तारीख 17 जुलाई, 1985 की ग्रधिसूचना मख्या का ग्रा. 528 (ग्र) के तहत गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियो के सबध मे मजदूरी दरें नियत करने या पुनरीक्षित करने के लिए एक मजदूरी बोर्ड गठित किया है;

ग्रीर उक्त बोर्ड बराबर ग्रपना कार्य कर रहा है,

श्रौर केन्द्रीय सरकार की राय है कि गैर-पत्रकार समाचारपत्न कर्म-चारियो के सबध मे मजदूरी की श्रतिरम दरे निर्धारित करना भावश्यक है,

श्रव, श्रव, उक्त श्रिधिनियम की धारा 13(घ) के साथ पिठत धारा 13क की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मजदूरी बोर्ड से परामर्श करने के पण्चात्, गैर-पत्नकार ममाचारपत्न कर्मचारियों के सबध में मूल वेतन के 15 प्रतिशत की दर से मजदूरी की श्रतिम दर्गे नियत करती है जो न्यूनतम 90/- रुपये प्रतिमाह हो। यह अतिरम सहायता सभी उद्देश्यों, जिसमें भविष्य निधि श्रशदान, कर्मचारी राज्य बीमा, उपदान, बोनस, श्रादि जैसे श्राह्म लामों का निर्धारण शामिल है, के लिए मूल मजदूरियों का भाग समझी जाएगी।

जहा कोई समाचारपत्र स्थापन, या तो अपने कर्मचारियो से हुई बातचीत के परिणामस्वरूप या अन्यथा, ऐसे गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियो का, जो उस समाचारपत्र स्थापन मे, या उसके सबध मे, उस रूप मे नियोजित है, अनरिम सहायता देने के लिए सहमत हो गया है और ऐसी अतरिम सहायता का सबध मूल मजद्री या महगाई भत्ते से है, ऐसी सहायता की राशि को मजदूरी की दरो मे उपर्युक्त वृद्धियो के विरुद्ध समायोजित कर लेना अनुजेय होगा

परन्तु जहा किसी गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियो के लिए कोई मनिस्म महायता, जिसे देने के लिए कोई समाचारपत्र स्थापन सहमत हो गया है, मजदूरी की दरों में उपर्युक्त वृद्धि से श्रीधिक है, वहा वह म्रतिस्म सहायता जिस पर समाचारपत्र स्थापन सहमत हो गया है, ऐसे गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए दी जाएगी (ग्र्यात् इममे कमी नहीं की जाएगी) और वे ऊपर सिफारिश की गई मजदूरी की दरों की वृद्धि के हकदार नहीं होंगे।

मजदूरी की ग्रतिरम दरे पहली ज्न, 1986 से देय होगी। $\begin{bmatrix} \text{वी} & 24032/6/86 \text{--} \hat{\mathbf{a}} & \hat{\mathbf{n}} \end{bmatrix}$ ए. के. टण्डन, संयुक्त सचिव

S.O. 313(E):— Whereas the Central Government has, in exercise of the powers conferred by section 13C of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955), constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 528 (E) dated the 17th July, 1985 a Wage Board for the purpose of fixing or revising the rates of wages in respect of Non-Journalists Newspaper Employees;

And whereas the said Board continues to function;

And whereas the Central Government is of opinion that it is necessary to fix interim rates of wages in respect of Non-Journalist Newspaper Employees;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 13A, read with section 13(D) of the said Act, the Central Government

after consultation with the Wage Board, hereby fixes the interim rates of wages in respect of Non-Journalist Newspaper employees at the rate of 15 per cent of basic wages subject to a minimum of Rs. 90/- p.m. The interim relief shall be taken as part of the basic wages for all purposes including determination of admissible benefits such as contribution to Provident Fund, Employees State Insurance, Gratuity, Bonus, etc.

Where any newspaper establishment has either as a result of negotiations with its employees or otherwise agreed to pay interim relief to Non-journalist Newspaper Employees employed as such in or in relation to, such newspaper establishment, and such interim relief is related to the basic wages or to the dearness allowance, it shall be permissible, to

adjust the amount of such relief against increases in the rates of wages made above:

Provided that where the interim relief agreed to be paid by any newspaper establishment, in respect of any Non-journalist Newspaper Employees is in excess of the increase in the rates of wages made above, such interim relief agreed to by the newspaper establishment shall continue to be paid (i.e., it shall not be reduced) in respect of such Non-Journalist Newspaper Employees and they shall not be entitled, in addition, to the increase in rates of wages recommended above.

The interim rates of wages shall be payable with effect from 1st June, 1986.

[F. No. V-24032/6/86—W.B.] A.K. TANDON, Jt. Secy.